उ0 प्र0 राज्य औद्योगिक
विकास प्राधिकरण

UPSIDA

यूपीएसआईडीसी काम्पलेक्स
A-1/4, लखनपुर,
पोस्ट बाक्स नं. 1050
कानपुर – 208024
दूरभाष : 2582851–53(PBX)
वेबसाइट : www.upsidc.com
ई.मेल : md@upsidc.com

संदर्भ सं0 /यूपीसीडा/आई0ए0/ दिनांक /07/2021

कार्यालय आदेश

प्राधिकरण के संचालक मण्डल की दिनॉक 22.06.2021 को सम्पन्न 38वीं बैठक में लिए गए निर्णय के क्रम में प्राधिकरण के समस्त अधिसूचित औद्योगिक विकास क्षेत्रों में आवंटित औद्योगिक/व्यवसायिक/ग्रुप हाउसिंग/संस्थागत उपयोग हेतु आरक्षित भूखण्डों के समय विस्तारण हेतु निर्गत कार्यालय आदेश संख्या 2043/एसआईडीसी/आईए दिनॉक 18.12.2018, आदेश संख्या 3896–3902/एसआईडीसी/आईए दिनॉक 03.09.2019, आदेश संख्या 2484–87/एसआईडीसी/आईए/पा0वा0–17 दिनॉक 09.10.2017 एवं आदेश संख्या 1660–1666/ एसआईडीसी/आईए दिनॉक 07.10.2020 द्वारा प्रचलित समय विस्तारण नीति में निम्नवत् संशोधन तत्काल प्रभाव से लागू किये जाते हैं:–

1. प्राधिकरण के औद्योगिक विकास क्षेत्रों में समस्त भू–उपयोगों के भूखण्डों पर प्रचलित समय विस्तारण शुल्क की वार्षिक दरों के 1/12 दर पर प्रतिमाह समय विस्तारण शुल्क आवंटियों/हस्तान्तरियों पर भारित किया जाए। आवंटियों/हस्तान्तरियों द्वारा न्यूनतम एक माह अथवा उसके गुणॉक की अवधि हेतु समय विस्तारण के आवेदन अनुमन्य होगें।

2. प्राधिकरण के औद्योगिक विकास क्षेत्रों में समस्त भू–उपयोगों के ऐसे भूखण्ड जिन पर प्राधिकरण द्वारा भौतिक कब्जा हस्तगत किया जाना सम्भव न होने पर आवंटियों/हस्तान्तरियों द्वारा भूखण्डों के नियमानुसार रिफण्ड/भूखण्ड परिवर्तन के उपलब्ध विकल्पों का चयन न करते हुए भूखण्ड का आवंटन यथावत रखे जाने पर प्राधिकरण द्वारा भौतिक कब्जा हस्तगत करने का प्रस्ताव निर्गत करने की तिथि से आवंटियों/हस्तान्तरियों द्वारा प्राधिकरण के नियमानुसार समय विस्तारण शुल्क देय होगा।

3. प्राधिकरण के औद्योगिक विकास क्षेत्रों में समस्त भू–उपयोगों के ऐसे भूखण्ड जिनपर आवंटियों/हस्तान्तरियों द्वारा पट्टा–विलेख निष्पादित न करते हुए भूखण्ड पर इकाई उत्पादनरत कर दी गई हो ऐसे प्रकरणों में प्रचलित नियमानुसार इकाई को उत्पादनरत करने की तिथि तक समय विस्तारण शुल्क देय होगा।

4. उपरोक्त बिन्दु संख्या–3 में आच्छादित भूखण्डों के पट्टा–विलेख निष्पादित करने हेतु प्राप्त आवेदन की तिथि को प्रचलित लीज प्रीमियम दर का 2 प्रतिशत प्रतिवर्ष ब्याज सहित विलम्ब शुल्क भारित करते हुए पट्टा–विलेख निष्पादित किया जायेगा। विलम्ब शुल्क भूखण्ड के आवंटन/हस्तान्तरण पत्र निर्गत करने के उपरान्त पट्टा–विलेख निष्पादित करने हेतु अनुमन्य 90 दिनों की अवधि के उपरान्त पट्टा–विलेख निष्पादित करने हेतु आवेदन की तिथि तक की अवधि हेतु भारित होगा।

ऐसे समस्त प्रकरणों में भूखण्डों पर आवंटियों/हस्तान्तरियों द्वारा इकाई उत्पादनरत किये जाने के प्राधिकरण के नियमानुसार साक्ष्य प्रस्तुत करने का दायित्व आवंटी/हस्तान्तरी का होगा । ऐसे समस्त प्रकरणों में पूर्व आवंटित भूखण्डों के आवंटियों/हस्तान्तरियों को आवेदन हेतु दिनॉक 31.12.2021 तक की समयावधि अन्तिम अवसर के रूप में उपलब्ध होगीं।

Scanned with CamScanner

5. उपरोक्त संशोधन कार्यालय आदेश निर्गत होने की तिथि के पूर्व निस्तारित प्रकरणों में प्रभावी नहीं होगें तथा समस्त प्रकरणों का निस्तारण कार्यालय आदेश संख्या 17–21 / यूपीसीडा / आईए / डेलीगेशन आफ पावर दिनॉक 01.04.2021 में समय विस्तारण प्रकरणों के निस्तारण हेतु प्रतिनिधायित अधिकारों के अनुसार निस्तारित किये जायेगें।

प्राधिकरण की प्रचलित समय विस्तारण नीति लागू किये जाने हेतु संदर्भित समस्त कार्यालय आदेश उपरोक्त सीमा तक तत्काल प्रभाव से संशोधित माने जायेगें तथा कार्यालय आदेश निर्गत होने की तिथि से पूर्व निस्तारित समस्त प्रकरणों में उक्त संशोधन प्रभावी नहीं होगें।

(मयूर माहेश्वरी)
मुख्य कार्यपालक अधिकारी

संदर्भ सं0 740-47 / यूपीसीडा / आई0ए0 / पालसी–वाल्यूम–17 दिनांक 07 / 07 / 2021

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. निजी सचिव–मा0 अध्यक्ष, यूपीसीडा, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
2. निजी सचिव–मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यूपीसीडा, मुख्यालय, कानपुर।
3. अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी (आर / एन), यूपीसीडा, मुख्यालय, कानपुर।
4. समस्त अनुभागाध्यक्ष, यूपीसीडा, मुख्यालय, कानपुर।
5. समस्त क्षेत्रीय प्रबन्धक / परियोजना अधिकारी / वरिष्ठ प्रबन्धक–सिविल / विद्युत, यूपीसीडा
6. समस्त अधिकारी / कर्मचारी, औ0क्षे0 अनुभाग, मुख्यालय, यूपीसीडा, कानपुर।
7. प्रभारी, कम्प्यूटर अनुभाग, यूपीसीडा, मुख्यालय, कानपुर को प्राधिकरण की वेबसाईट पर प्रदर्शित करने के निर्देश के साथ।
8. गार्ड फाईल

(मयूर माहेश्वरी)
मुख्य कार्यपालक अधिकारी

Scanned with CamScanner